प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28.07.2025

थाना कंदवा जनपद चंदौली

🔷 **थाना कन्दवा व स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही में अवैध गांजा की तस्करी में संलिप्त 02 तस्करों को किया गिरफ्तार**

🔷 **मैजिक वाहन में तेल के ड्रम में भरकर ले जा रहे कुल 121 पैकेटो में 127 किलो अवैध गांजा बरामद**

🔷 **बरामद गांजा की अनुमानित कीमत करीब करीब 12 लाख रुपये**

चंदौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी महोदय, श्री वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी महोदय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली व अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) अपर पुलिस अधीक्षक सदर के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी सदर देवेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष प्रियंका सिंह थाना कन्दवा व आशीष मिश्रा प्रभारी स्वाट/सर्विलांस के कुशल नेतृत्व में थाना कंदवा व स्वाट/सर्विलांस टीम के द्वारा बरहनी बैरियर पर संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक मैजिक वाहन जिसमें अवैध गांजा है जो सोनभद्र से सैयदराजा होते हुए आ रहा है जो जमानिया की तरफ जाएगा यदि आप लोग जल्दी करे तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना के आधार पर थाना कंदवा व स्वाट/सर्विलांस टीम के द्वारा बरहनी बैरियर पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन कि चेकिंग के दौरान सैयदराजा के तरफ से एक मैजिक गाड़ी आती हुई दिखाई दी जिसे पुलिस टीम द्वारा टर्च से रुकने का इशारा किया कि वह पुलिस टीम को देखकर गाड़ी रोककर उतरने का प्रयास किया लेकिन पुलिस टीम द्वारा गाड़ी रोककर घेरकर पकड़ लिया गया। पकड़े गये वाहन के चालक सीट पर बैठे व्यक्ति की पहचान अर्जुन कुमार पुत्र श्रीनाथ विश्वकर्मा निवासी श्रीटोला थाना नवादा जिला भोजपुर बिहार उम्र करीब 22 वर्ष व खलासी सीट पर बैठे व्यक्ति की पहचान चन्दन कुमार पुत्र स्व० रंजू प्रसाद निवासी अबरपुल थाना नगर जनपद भोजपुर बिहार उम्र करीब 23 वर्ष के रुप में हुई। दोनों को गाड़ी से उतारकर गाड़ी के ढाला में रखे ड्रम को चेक किया गया तो तीन ड्रम खाली है और तीन ड्रम में प्लास्टिक में रखे कुल 121 पैकेटो में कुल वजन 127 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तारी

व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 68/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उक्त अवैध गांजा सोनभद्र से लेकर जमानिया के रास्ते होते गाजीपुर बेचने के लिए लेकर जा रहे थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अर्जुन कुमार पुत्र श्रीनाथ विश्वकर्मा निवासी श्रीटोला थाना नवादा जिला भोजपुर बिहार उम्र करीब 22 वर्ष

2.चन्दन कुमार पुत्र स्व0 रंजू प्रसाद निवासी अबरपुल थाना नगर जनपद भोजपुर बिहार उम्र करीब 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 68/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कंदवा जनपद चंदौली

बरामदगी का विवरण-

1.127 किलो (कुल 121पैकेटो में) अवैध गांजा

2.मैजिक वाहन गाड़ी न0 CG10AG1677,

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष प्रियंका सिंह थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

2.स्वाट/सर्विलांस प्रभारी उ0नि0 आशीष मिश्र मय पुलिस टीम

3-उ0नि0 रविकान्त चौहान चौकी प्रभारी रामपुर थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

4–उ0नि0 साहब थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

5-का0 आशीष कुमार थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

6-का0 सविनय सिंह थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

7-का0 अजय वर्मा चौकी थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

8-म0का0 रुबी सिंह थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।